FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर जिला कलेक्टर

फूलाराम पि. अनारामजी [illegible] मेघवाल नि० बाकरवाडी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर

किस्म मुकद्दमा : u/s 88, 89 R.T. Act मु. नं. : 51 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15-6-18	वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती एवं खातेदारी एक घोषणा हेतु पेश किया गया है अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी जरिये समन्स तलब व हाजिर पत्रावली आइन्दा दिनांक 11-7-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)	
11-7-18	वकील वादी हाजिर प्रतिवादी A.G.P. हाजिर [illegible] का [illegible] है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 5.9.18 को पेश हो।	
05/09/18	वकील वादी हाजिर प्रतिवादी को नोटिस तामील अथवा अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ है वादी वकील P/F समन्स मय [illegible] पेश करे। पेश होने पर जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 13/09/18 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-12-19	पत्रावली आज पेश हुई निर्णय पृथागाना तैयार कर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)	

Scanned by CamScanner

कार्यालय : सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), आहोर

पिठासिन अधिकारी : प्रशान्त कुमार शर्मा RAS

राजस्व वाद संख्या : 51/2018

वादीगण : 01 फुलाराम पुत्र स्व. श्री अन्नाराम, उम्र 34 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालो का वास बादनवाडी, तहसील आहोर ,जिला जालोर (राजस्थान)

02 कियाराम पुत्र स्व. श्री अन्नाराम, उम्र 27 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालो का वास बादनवाडी, तहसील आहोर ,जिला जालोर (राजस्थान)

विरूध

प्रतिवादीगण : राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आहोर, जिला जालोर

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ति एंव खातेदारी हक घोषणा

उपस्थिति : 01 श्री ललित खत्री वास्ते वादीगण

02 तहसीलदार आहोर

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

वादी गण फुलाराम व कियाराम ने यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरस्ति व खातेदारी हक घोषणा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम बादनवाडी, तहसील आहोर मे खसरा नम्बर 114, 115, 116, 117 रकबा क्रमशः 0.06 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर व 10.31 कुल रकबा 10.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 301, 302 रकबा क्रमश : 9.52 हैक्टर, 5.68 हैक्टर कुल रकबा 15.2 हैक्टर, व खसरा नम्बर 511, 512, व 513 रकबा क्रमश : 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर व 13.47 हैक्टर कुल रकबा 13.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमश : 1.33 हैक्टर, 1.21 हैक्टर, 1. 31 हैक्टर व 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78 व 79 रकबा क्रमश : 0.02 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.01 हेक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.97 हैक्टर, 0.21 हैक्टर, 1.68 हैक्टर, 2.54 हैक्टर, 0.47 हैक्टर कुल रकबा 7.04 हैक्टर व खसरा नम्बर 500 , 501 रकबा क्रमशः 3.36 हैक्टर व 3.32 हैक्टर कुल रकबा 6.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 451, 452 रकबा क्रमश : 1.72 हैक्टर व 1.49 हैक्टर कुल रकबा 3.21 हैक्टर मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्से के अनुसार आई हुई है। उक्त आराजी वादीगण को अपने पिता श्री अनाराम उर्फ अनीया पुत्र पताजी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हो रही है। वादी फुलाराम को घर व मोहल्ले मे प्यार से पपाराम नाम से बुलाया जाता है जिसके चलते उक्त आराजी के राजस्व अभिलेखो मे लिपिकिय भूल से वादी का नाम फुलाराम की बजाय पपाराम पुत्र अनीया दर्ज हो गया जबकि मेरे उपरोक्त आराजी की जमाबन्दी के अलावा अन्य राजकीय अभिलेखो व परिचय पत्रो मे मेरा नाम फुलाराम पुत्र अन्नारामजी दर्ज है परन्तु लिपिकिय भुल से उपरोक्त अराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम पपाराम पुत्र अनीया दर्ज हो गयाा है। मेरे गांव बादनवाडी मे पपाराम पुत्र अनीया नाम को मेरे अलावा कोई अन्य व्यक्ति नही है। इसी प्रकार वादी कियाराम को घर व मोहल्ले मे प्यार से सांवलाराम नाम से बुलाया जाता है जबकि सांवलाराम का उक्त

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)

लगातार 2

Scanned by CamScanner

आराजी की जमाबन्दी को छोड अन्य सरकारी अभिलेखो मे व परिचय पत्र मे नाम कियाराम पुत्र अन्नारामजी दर्ज है परन्तु लिपिकिय भुल से उपरोक्त अराजी के राजस्व अभिलेख मे कियाराम का नाम सांवलाराम पुत्र अनीया दर्ज हो गयाा है। हमारे गांव मे सांवलाराम पुत्र अनीया नाम को मेरे भाई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नही है। वादीगण द्वारा उक्त लिपिकिय भुल से अपने नाम गलत दर्ज होने की दुरस्ती की चाही या विकल्प मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज अनुसार अपने वास्तविक नाम फुलाराम व कियाराम नाम से राजस्व अभिलेख मे उक्त आराजी मे अपने दर्ज हिस्से की खातेदारी हक घोषण करने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी राजस्थान सरकार को जरिए नोटिस तलब किया गया जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया की अन्य सह खातेदारो की सहमति से वादीगण का नाम परिवर्तन किया जाता है जो राज्य हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत करने के चलते विवाघक कायम नही किये जा कर वादी साक्ष्य ली गई वादीगण की और से **PW 01** के रूप मे फुलाराम **PW 02** के रूप मे कियाराम व **PW 03** के रूप मे चूनीदेवी व **PW 04** के रूप मे रमेश कुमार को साक्ष्य मे प्रस्तुत कर ब्यान लेखबद्ध करवाए व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे Exp 01 से Exp13 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

कि प्रतिवादी राजस्थान सरकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई वादी वकील ने वाद मे वर्णित तथ्यो का दोहराते हुए दावा डिक्रि करने के लिए निवेदन किया वही तहसीलदार आहोर ने भी इस का राज्य के हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडने के चलते कोई प्रतिरोध नही किया इस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दावे व मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्षयो व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्षयो से वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखो मे नाम पपाराम व सांवलाराम दर्ज है वही वादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो मे वादीगण का नाम क्रमशः फुलाराम व कियाराम दर्ज है वही **PW 03 &04** के न्यायालय कथनो मे स्वंय को वादीगण का सह खातेदार बताते हुए वादीगण के वास्तविक नाम फुलाराम व कियाराम होने की पुष्टि की है। ऐसी दशा मे वादीगण यह सिद्ध करने मे सफल रहे है कि वादीगण के वास्तविक नाम फुलाराम व कियाराम है जो गलती से राजस्व अभिलेखो मे पपाराम व सांवलाराम दर्ज हो रखे है, ऐसी अवस्था मे इस लिपिकिय भुल को दुरस्त किया जाना न्यायालय को उचित प्रतित होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जा कर राजस्व ग्राम बादनवाडी, तहसील आहोर मे खसरा नम्बर 114, 115, 116, 117 रकबा क्रमशः 0.06 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर व 10.31 कुल रकबा 10.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 301, 302 रकबा क्रमश : 9.52 हैक्टर, 5.68 हैक्टर कुल रकबा 15.2 हैक्टर, व खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

लगातार 3

Scanned by CamScanner

511, 512, व 513 रकबा क्रमश : 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर व 13.47 हैक्टर कुल रकबा 13.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमश : 1.33 हैक्टर, 1.21 हैक्टर, 1.31 हैक्टर व 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78 व 79 रकबा क्रमश : 0.02 हैक्टर, 0.99 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.01 हेक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.97 हैक्टर, 0.21 हैक्टर, 1.68 हैक्टर, 2.54 हैक्टर, 0.47 हैक्टर कुल रकबा 7.04 हैक्टर व खसरा नम्बर 500 , 501 रकबा क्रमशः 3.36 हैक्टर व 3.32 हैक्टर कुल रकबा 6.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 451, 452 रकबा क्रमश : 1.72 हैक्टर व 1.49 हैक्टर कुल रकबा 3.21 हैक्टर मे राजस्व अभिलेख मे वादीगण के हिस्से के लिए उनके गलत दर्ज पपाराम व सांवलराम को क्रमशः फुलाराम व कियाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है या विकल्प मे उक्त अराजी मे वादीगण के नाम फुलाराम व कियाराम के नाम से उपरोक्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे दर्ज अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की घोषणा की जाती है पक्षकारान खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करे डिक्रि पर्चा मुरतिब हो कर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे पढ कर सुनाया गया।

(प्रशान्त कुमार शर्मा RAS)
सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी)
आहोर, जिला जालोर (राज.)